राजस्थान **उच्च** न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2565/2024

अंजन कुमार गोस्वामी पुत्र (स्व.) श्री प्रद्युम्न कुमार देव गोस्वामी, आयु लगभग 74 वर्ष, सेवायत/महंत ठाकुर जी श्री गोविंद देव जी महाराज, विराजमान सिटी पैलेस, जैनिवास उद्यान, जयपुर (राजस्थान), निवासी श्री गोविंद देव जी की हवेली, 303, खवास जी का रास्ता, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. ठाकुर जी श्री गोविंद देव जी महाराज विराजमान सिटी पैलेस, जयपुर, द्वारा महंत एवं सेवायत श्री ओतेश कुमार गोस्वामी, पुत्र (स्व.) श्री प्रद्युम्न कुमार देव गोस्वामी, ठाकुर जी श्री गोविंद देव जी महाराज, विराजमान सिटी पैलेस, जैनिवास उद्यान, जयपुर (राजस्थान)
2. ओतेश कुमार गोस्वामी पुत्र (स्व.) श्री प्रद्युम्न कुमार देव गोस्वामी, सेवायत/महंत ठाकुर जी श्री गोविंद देव जी महाराज, विराजमान सिटी पैलेस, जैनिवास उद्यान, जयपुर (राजस्थान), निवासी श्री गोविंद देव जी की हवेली, 303, खवास जी का रास्ता, जयपुर (राजस्थान)
3. अनुज कुमार गोस्वामी पुत्र (स्व.) श्री प्रद्युम्न कुमार देव गोस्वामी, आयु लगभग 70 वर्ष, सेवायत/महंत ठाकुर जी श्री गोविंद देव जी महाराज विराजमान, वृंदावन, निवासी श्री गोविंद देव जी की हवेली, 303, खवास जी का रास्ता, जयपुर (राजस्थान) एवं वर्तमान में नया गोविंद मंदिर, गोविंद घेड़ा, पोस्ट वृंदावन, मथुरा में निवासरत
4. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग (प्रथम), संस्कृत कॉलेज, पुरानी विधान सभा सिराह के सामने, घोड़ी बाजार, जयपुर।

5. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्ट्री भवन, बानी पार्क, जयपुर

----प्रतिवादी

~~याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : सुश्री सुरुचि कासलीवाल~~
प्रतिवादी(यों) के लिए : श्री सुखदेव सिंह सोलंकी

माननीय श्री. जस्टिस अनूप कुमार ढंड

आदेश

आरक्षित किया गया : 29/04/2024
घोषित किया गया : 03/05/2024

*****

सर्वोत्तम साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य होता है। सबसे सामान्य नियम यह है कि गौण साक्ष्य केवल तब स्वीकार्य होती है जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध न हो। इसी पृष्ठभूमि में, इस रिट याचिका में उत्पन्न विवाद का निर्णय आवश्यक है।

1. वर्तमान रिट याचिका उन आदेशों दिनांक 02.08.2019 और 10.01.2024 के विरुद्ध दायर की गई है, जो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश-सह-मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नं.1, जयपुर मेट्रोपॉलिटन; एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश-सह-मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नं.1, जयपुर मेट्रोपॉलिटन-I द्वारा वाद संख्या 89/2014 में पारित की गई, जिनमें वादी/प्रत्यर्थी (यहाँ "वादी" के रूप में संदर्भित) द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अंतर्गत दायर आवेदन स्वीकृत किया गया और वादी को गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने की

अनुमति दी गई, अर्थात् वसीयतनामा दिनांक 22.06.1997 तथा पारिवारिक समझौता दिनांक 01.01.1998 की प्रमाणित प्रतियाँ साक्ष्य में पेश करने की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियां:-

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी-याचिकाकर्ता (अर्थात् आगे "प्रतिवादी" कहा गया है) के विरुद्ध घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया गया है। उक्त वाद की लंबित अवधि के दौरान, वादी द्वारा आदेश 13 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मूल वसीयतनामा दिनांक 22.06.1997, जो तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (सीडी) मथुरा की फाइल में वाद संख्या 704/2009 में है, एवं मूल पारिवारिक समझौता दिनांक 01.01.1998, जो सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ डिवीजन मथुरा की अदालत में वाद संख्या 527/2002 में है, को तलब करने का आग्रह किया गया। उक्त वादी द्वारा दायर आवेदन को आदेश दिनांक 20.11.2018 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसके पश्चात, वादी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रतियों के रूप में गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति माँगी गई। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि जब वादी स्वयं मानता है कि उक्त मूल दस्तावेज, अर्थात् वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता मथुरा की अदालतों की फाइल में उपलब्ध हैं, तब उसके पास गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुमति माँगने का कोई कारण या अवसर नहीं था, विशेषतया जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध था। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में

निचली अदालत में आपत्ति ली गई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और वादी द्वारा दायर आवेदन को 02.08.2019 के विवादित आदेश के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि बाद में वादी ने धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे निचली अदालत को वादी को इन दोनों दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श अंकित करने की अनुमति दी गई। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदन को ट्रायल जज द्वारा विवादित आदेश दिनांक 10.01.2024 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और वादी को इन प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श अंकित करने की अनुमति दी गई। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त आदेश न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में निहित प्रावधानों के विपरीत पारित किए गए हैं। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में विवादित आदेश दिनांक 02.08.2019 एवं 10.01.2024 को रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियां:-

3. दूसरी ओर, वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि पूर्व में भी वादी द्वारा आदेश 13 नियम 10 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मथुरा की अदालतों से मूल वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता तलब करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने उसका विरोध किया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को आदेश दिनांक 20.11.2018 के तहत अस्वीकार कर दिया गया। अधिवक्ता का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में वादी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, सिवाय

मथुरा की अदालतों से वसीयतनामा तथा पारिवारिक समझौता की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर ट्रायल कोर्ट के अभिलेख में प्रस्तुत करने के। तदनुसार वादी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत गौण साक्ष्य देने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(डी) में निहित प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जब मूल दस्तावेज ऐसी प्रकृति के हों कि उन्हें आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तब ऐसी स्थिति में गौण साक्ष्य ली जा सकती है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, चूँकि मूल दस्तावेज, अर्थात् वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौते मथुरा की अदालतों के पास हैं और ये दस्तावेज आसानी से स्थानांतरित करने योग्य नहीं हैं, अतः ऐसी परिस्थितियों में इनकी प्रमाणित प्रतियाँ अभिलेख में ली जानी चाहिए। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान ट्रायल जज ने वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को सही रूप से स्वीकृत किया है, जिससे अभियोजन को उपरोक्त मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के रूप में गौण साक्ष्य देने की अनुमति दी गई और तदनुसार ट्रायल जज ने वादी को इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श अंकित करने की सही अनुमति दी है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा न्यायसंगत और स्पष्ट आदेश पारित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय की किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कानून के प्रावधानों का विश्लेषण:-

4. बार पर पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों को सुना और विचार किया गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

5. विवादित मामले के सम्यक मूल्यांकन हेतु, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 एवं 66 को पुनरुत्पादित करना उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार हैं—

> "**65.** ऐसे मामले जिनमें दस्तावेजों से संबंधित गौण साक्ष्य दी जा सकती है.– जिस मामले में दस्तावेज के अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु का गौण साक्ष्य दिया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैं—
>
> (क) जब यह दर्शाया जाए या प्रतीत हो कि मूल उस व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में है, जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को प्रमाणित किया जाना है, या किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन नहीं है, या उसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किसी व्यक्ति के पास है, और जब, धारा 66 में उल्लिखित सूचना देने के बाद, ऐसा व्यक्ति उसे प्रस्तुत नहीं करता;
>
> (ख) जब मूल दस्तावेज का अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु उस व्यक्ति द्वारा लिखित में स्वीकार कर ली गई हो, जिसके विरुद्ध वह प्रमाणित किया जा रहा है या उसके हितधारक प्रतिनिधि द्वारा;
>
> (ग) जब मूल नष्ट हो गया हो या गुम हो गया हो, या दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पक्ष, अपनी गलती या उपेक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से, उचित समय में उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता;
>
> (घ) जब मूल ऐसी प्रकृति का हो कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता;
>
> (ङ) जब मूल धारा 74 के अंतर्गत कोई सार्वजनिक दस्तावेज हो;
>
> (च) जब मूल दस्तावेज ऐसा हो, जिसकी प्रमाणित प्रति इस कानून या भारत में किसी अन्य विधि द्वारा साक्ष्य में ली जा सकती हो;

(छ) जब मूल में कई खाते या अन्य दस्तावेज हों जिन्हें न्यायालय में सुविधाजनक रूप से जांचना संभव न हो, और प्रमाणित करने के लिए जो तथ्य आवश्यक है वह पूरी संग्रह का सामान्य परिणाम हो।

- स्थिति (क), (ग) और (घ) में, दस्तावेज की विषय-वस्तु का कोई भी गौण साक्ष्य स्वीकार्य है।

- स्थिति (ख) में, लिखित स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है।

- स्थिति (ङ) या (च) में, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति स्वीकार्य है, परन्तु अन्य किसी प्रकार का गौण साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।

- स्थिति (छ) में, साक्ष्य उन दस्तावेजों के सामान्य परिणाम के बारे में दी जा सकती है, ऐसी कोई व्यक्ति द्वारा जिसने उन्हें जांचा हो और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच में निपुण हो।

66. प्रस्तुत करने की सूचना देने के नियम — धारा 65, खंड (क) में उल्लिखित दस्तावेज़ों की विषयवस्तु के गौण साक्ष्य तब तक स्वीकार्य नहीं होंगे जब तक कि ऐसा गौण साक्ष्य देने का इच्छुक पक्ष पहले उस पक्ष को, जिसके कब्जे या अधिकार में वह दस्तावेज़ है, या उसके अभियोजक या वकील को नियमानुसार वह दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की सूचना न दे; और यदि कोई सूचना कानून द्वारा निर्धारित नहीं है, तो उस स्थिति में ऐसी सूचना दी जाए जैसा कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझे: यह शर्त नहीं होगी कि गौण साक्ष्य को स्वीकार्य बनाए रखने के लिए ऐसी सूचना निम्नलिखित में से किसी भी मामले में या किसी अन्य मामले में, जिसमें न्यायालय ऐसा उचित समझे, आवश्यक हो —

(1) जब प्रमाणित किया जाने वाला दस्तावेज़ स्वयं एक सूचना है;

(2) जब, मामले की प्रकृति से, प्रतिपक्ष को यह ज्ञात होना चाहिए कि उससे उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा;

(3) जब यह प्रतीत होता है या प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपक्ष ने मूल को धोखे या बल से प्राप्त किया है;

(4) जब प्रतिपक्ष या उसका अभिकर्ता (एजेंट) के पास मूल अदालत में है;

(5) जब प्रतिपक्ष या उसका अभिकर्ता दस्तावेज़ की हानि को स्वीकार करता है;

(6) जब दस्तावेज़ के कब्जे में रहने वाला व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन नहीं है या उसकी पहुँच से बाहर है।

6. धारा 65 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई दस्तावेज, जिसका मूल उस व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में दिखाया जाए या प्रतीत हो, जिसके विरुद्ध उसे प्रस्तुत किया जाना है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पहुँच से बाहर हो, या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन न हो, या कोई व्यक्ति जो उसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, और जब धारा 66 में उल्लिखित सूचना देने के बाद भी वह व्यक्ति उसे प्रस्तुत नहीं करता, तब अस्तित्व, स्थिति या विषयवस्तु के संबंध में गौण साक्ष्य दी जा सकती है। यह कानून का निश्चित सिद्धांत है कि गौण साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए, यह आधारभूत साक्ष्य देना आवश्यक है कि मूल साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं की गई।

7. इस मामले से उत्पन्न होने वाला मुद्दा लगभग उन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों से मिलता-जुलता है जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक दुलीचंद बनाम मदाहवललाल रूसी एवं अन्य **1976 (1)** एससीआर **246** में विचार किया है, जिसमें निम्नवत् कहा गया—

> “भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के खंड (क) के अनुसार, जब मूल दस्तावेज उस व्यक्ति के कब्जे या अधिकार में दिखाया जाए या

> प्रतीत हो, जिसके विरुद्ध उसे प्रमाणित किया जाना है, तो दस्तावेज के अस्तित्व, स्थिति या विषयवस्तु के संबंध में गौण साक्ष्य दी जा सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो जो अदालत की प्रक्रिया के अधीन नहीं है या जिसकी पहुँच से बाहर है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया हो; और जब ऐसी सूचना, जैसी धारा 66 में उल्लिखित है, देने के बाद भी वह व्यक्ति उसे प्रस्तुत नहीं करता, तब गौण साक्ष्य दी जा सकती है। धारा 65 के खंड (ख) से (छ) तक, कुछ अन्य परिस्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं जिनमें दस्तावेज से संबंधित गौण साक्ष्य दी जा सकती है।"

8. मामला: राकेश मोहिन्द्रा बनाम अनीता बेरी एवं अन्य**, (2016) 16** एस.सी.सी. **483** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया है:

> "15. गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने की पूर्व-शर्तें यह हैं कि ऐसे मूल दस्तावेज उस पक्ष द्वारा समुचित प्रयासों के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जो उन पर निर्भर है, अर्थात् वे पक्ष के नियंत्रण से बाहर हैं। जो पक्ष गौण साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, उसे प्राथमिक साक्ष्य की गैर-उपलब्धता का कारण स्पष्ट करना होगा। जब तक यह स्थापित न हो जाए कि मूल दस्तावेज खो गया है, नष्ट हो गया है या उसे उद्देश्यपूर्वक उपयोग करने वाले पक्ष द्वारा जानबूझकर रोका गया है, उस दस्तावेज के संबंध में गौण साक्ष्य स्वीकार नहीं की जा सकती।"

9. यह कानून है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत तथ्य प्राथमिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए जाने चाहिए और गौण साक्ष्य केवल एक अपवाद है, जिसके लिए आधारभूत तथ्यों को स्थापित करना आवश्यक है ताकि प्राथमिक साक्ष्य के अस्तित्व का हिसाब दिया जा सके। एच. सिद्दीकी (मृत) द्वारा कानूनी प्रतिनिधि बनाम ए. रामलिंगम, (2011) 4 एस.सी.सी. 240 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि जब मूल दस्तावेज

उचित कारण और तथ्यात्मक आधार के बिना प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती।

10. प्राथमिक और गौण साक्ष्य की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. बनाम पुर्या, (2004) 8 एस.सी.सी. 270 में इस प्रकार की है: पहला (प्राथमिक साक्ष्य) वह साक्ष्य है जिसे कानून पहले प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, जबकि दूसरा वह साक्ष्य है जिसे मूल साक्ष्य की अनुपस्थिति में तब प्रस्तुत किया जा सकता है जब उसकी अनुपस्थिति के लिए उपयुक्त कारण बताया गया हो। "प्राथमिक और गौण साक्ष्य" शब्द ऐसे किन्हीं भी प्रमाणों पर लागू होते हैं जिन्हें किसी दस्तावेज़ की विषय-वस्तु प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे ऐसे विषय-वस्तु को प्रमाणित करने के उद्देश्य जो भी हों।

11. साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 एक विस्तृत परिभाषा देती है जिसमें कहा गया है कि "गौण साक्ष्य" का अर्थ और समावेश वहाँ उल्लिखित पाँच प्रकार के प्रमाणों में है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत उन परिस्थितियों में दस्तावेजों के अस्तित्व, स्थिति या विषयवस्तु की गौण साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है, जो वहाँ वर्णित हैं। यह उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करता है जिनमें मूल दस्तावेज अनुपलब्ध या दुर्गम हो। इन धाराओं में उल्लिखित सिद्धांतों का, जिसमें उचित प्रलेखन और प्रमाणीकरण शामिल है, कानूनी कार्यवाही में गौण साक्ष्य सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने हेतु पालन करना आवश्यक है।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौण साक्ष्य की स्वीकार्यता के परीक्षण के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जैसा कि विजय बनाम संघ भारत विजय बनाम भारत संघ, **2023** लाइवलॉ (एससी) **1022** के मामले में प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित सिद्धांत पैरा 33.1 से 33.9 में बताए गए हैं, जिन्हें इस प्रकार पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

> "33.1 कानून सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य को पहले प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, अर्थात् प्राथमिक साक्ष्य।
>
> 33.2 साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 उन दस्तावेजों की सूची प्रदान करती है, जिन्हें गौण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो केवल प्राथमिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में स्वीकार्य है।
>
> 33.3 यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध है, तो उसे प्राथमिक साक्ष्य के लिए निर्धारित विधि के अनुसार प्रस्तुत और प्रमाणित किया जाना चाहिए। जब तक सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य किसी के नियंत्रण में है या उसे प्रस्तुत किया जा सकता है या उसकी पहुँच में है, तब तक कोई निम्न स्तरीय प्रमाण नहीं दिया जा सकता।
>
> 33.4 किसी पक्ष को विषयवस्तु के प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए, और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही गौण साक्ष्य स्वीकार्य होगी। वे अपवाद उस स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं जब कोई पक्ष सचमुच अपने दोष के बिना मूल प्रस्तुत करने में असमर्थ है।
>
> 33.5 जब किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता उचित रूप से और पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दी जाती है, तब ही गौण साक्ष्य स्वीकार की जा सकती है।

> 33.6 गौण साक्ष्य तब दी जा सकती है जब पक्ष अपनी गलती या उपेक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता।
>
> 33.7 जब प्रतियाँ मूल दस्तावेज की अनुपस्थिति में प्रस्तुत की जाती हैं, तो वे अच्छी गौण साक्ष्य बन जाती हैं। फिर भी, यह आधारभूत साक्ष्य होना चाहिए कि विवादित प्रति, मूल की सच्ची प्रति है।
>
> 33.8 किसी दस्तावेज़ की विषयवस्तु के गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले, मूल की प्रस्तुति न होने का कारण इस प्रकार स्पष्ट करना आवश्यक है जिससे वह इस धारा में निर्दिष्ट किसी एक या अन्य स्थिति में आ सके।
>
> 33.9 केवल किसी दस्तावेज़ का प्रस्तुत किया जाना और न्यायालय द्वारा उसे प्रदर्श के रूप में अंकित कर देना उसके विषयवस्तु का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसे कानून के अनुसार प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

13. जे**.** यशोदा बनाम के**.** शोभा रानी **(2007) 5** एससीसी **730** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि सामान्य नियम के रूप में, गौण साक्ष्य केवल प्राथमिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में ही स्वीकार्य है। जैसा कि पैरा 7, 8, 9 में कहा गया है—

> "7. गौण साक्ष्य, सामान्य नियम के अनुसार, केवल प्राथमिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में ही स्वीकार्य है। यदि मूल स्वयं उस पक्ष की विफलता के कारण अस्वीकार्य पाया जाता है, जो पक्ष उसकी वैधता सिद्ध करने के लिए उसे दाखिल करता है, तो वही पक्ष उसकी विषयवस्तु का गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं है।"

> 8. मूलतः, गौण साक्ष्य वह साक्ष्य है, जो उस श्रेष्ठ साक्ष्य की अनुपस्थिति में दी जा सकती है, जिसे पहले प्रस्तुत करना कानून द्वारा आवश्यक किया गया है, जब उसकी अनुपस्थिति के लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया हो। धारा 63 में दी गई परिभाषा व्यापक है, क्योंकि धारा यह घोषित करती है कि गौण साक्ष्य का 'अर्थ और समावेश' है और इसके बाद गौण साक्ष्य के पाँच प्रकार आते हैं।
>
> 9. नियम जो सबसे सामान्य है, वह यह है कि सर्वोत्तम साक्ष्य, जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करेगी, वही प्रस्तुत किया जाएगा। यह आपत्ति का निराकरण करता है कि यह नियम केवल तब तक लागू है जब तक उच्च या श्रेष्ठ साक्ष्य आपके अधिकार में हो या आपके द्वारा प्राप्त किया जा सके; उसके अनुपस्थित रहने पर ही आप उसका निम्न स्तर का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 65 दस्तावेज़ की विषयवस्तु का प्रमाण स्वीकार करने से संबंधित है। किसी पक्ष को गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए, उस पक्ष के लिए मूल दस्तावेज का अस्तित्व और निष्पादन सिद्ध करना आवश्यक है। धारा 64 के अंतर्गत, दस्तावेज़ों का प्रमाण प्राथमिक साक्ष्य से ही दिया जाना चाहिए। जबकि धारा 65 के अंतर्गत, जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, उनमें दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या विषयवस्तु के संबंध में गौण साक्ष्य दी जा सकती है। उक्त धारा में जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, उन्हें पूरी करना आवश्यक है, तभी गौण साक्ष्य स्वीकार्य होगी। किसी दस्तावेज़ की विषयवस्तु का गौण साक्ष्य मूल की प्रस्तुति न होने की स्थिति में, और उसकी अनुपस्थिति को ऐसी रीति से स्पष्ट करने के बाद ही स्वीकार्य है, जिससे वह धारा में वर्णित किसी एक या अन्य स्थिति में आ सके।

14. उपरोक्त न्यायिक निर्णयों का सार यह है कि कोई भी पक्ष, जो किसी दस्तावेज की विषयवस्तु पर निर्भर रहना चाहता है, उसे उसकी विषयवस्तु के प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही गौण साक्ष्य स्वीकार्य होगी।

किसी दस्तावेज की विषयवस्तु का गौण साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य है जब मूल दस्तावेज अस्तित्व में नहीं हो या उपलब्ध न हो।

चर्चा एवं तर्क:-

15. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, वादी का स्वीकार किया गया मामला है कि मूल वसीयतनामा दिनांक 22.06.1997 वाद संख्या 704/2009 शीर्षक ठाकुर श्री गोविंद देव जी बनाम अनुज कुमार एवं अन्य, जो तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (सीडी), मथुरा की अदालत में लंबित है, में पड़ी हुई है और पारिवारिक समझौता दिनांक 01.01.1998 वाद संख्या 527/2002 शीर्षक अनुज कुमार बनाम अंजन कुमार एवं अन्य, जो सिविल न्यायाधीश (जेडी), मथुरा की अदालत में लंबित है, में पड़ी हुई है। इस तथ्य को वादी ने ट्रायल जज के समक्ष आदेश 13 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में भी स्वीकार किया है, जिसमें इन दोनों मूल दस्तावेजों को मथुरा की अदालतों से तलब करने का निवेदन किया गया।

16. वादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन को विद्वान ट्रायल जज ने आदेश दिनांक 20.11.2018 द्वारा यह देखते हुए अस्वीकार कर दिया कि दोनों वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रतियाँ पहले ही अभिलेख में प्रस्तुत की जा चुकी हैं और इनके मूल दस्तावेज़ों को तलब करना अनुचित विलम्ब के बिना संभव नहीं होगा, अतः इन मूल दस्तावेज़ों को तलब नहीं किया गया और उपरोक्त आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

17. इसके पश्चात, वादी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत इन दो दस्तावेज़ों अर्थात् वसीयतनामा दिनांक 22.06.1997 एवं पारिवारिक समझौता दिनांक 01.01.1998 के लिए गौण साक्ष्य देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को विवादित आदेश दिनांक 02.08.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया और वादी को इन दोनों दस्तावेज़ों के गौण साक्ष्य देने की अनुमति दी गई और वादी के साक्ष्य अभिलेखित करने के लिए मामला पोस्ट किया गया।

18. इस चरण में, जब वादी के साक्ष्य अभिलेखित किए जा रहे थे, तब प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि इन दो दस्तावेज़ों अर्थात् वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता को साक्ष्य में प्रदर्शित करने की अनुमति न दी जाए। उक्त आवेदन को विद्वान ट्रायल जज द्वारा विवादित आदेश दिनांक 10.01.2024 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और वादी को इन दोनों दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श अंकित करने की अनुमति दी गई।

19. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि जब ये दोनों मूल दस्तावेज़, यानी वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता अस्तित्व में हैं और ये दोनों मथुरा की विभिन्न सिविल अदालतों में लंबित वादों के अभिलेख में पड़े हैं, तो क्या वादी को इन दोनों दस्तावेज़ों के लिए गौण साक्ष्य देने की अनुमति दी जा सकती है और क्या इन दोनों दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियों को प्रदर्श के रूप में अंकित किया जा सकता है।

20. जब वादी का स्वीकार किया गया मामला है कि इन दोनों दस्तावेज़ों की मूल प्रतियाँ, अर्थात् वसीयतनामा दिनांक 22.06.1997 एवं पारिवारिक समझौता दिनांक

01.01.1998, मथुरा की सिविल अदालतों के समक्ष लंबित दो वादों के अभिलेख में पड़ी हुई हैं और विवादित दस्तावेज़ स्थानांतरित किए जा सकने वाले हैं और वादी की पहुँच में हैं, तो ऐसे में वादी को इन दोनों दस्तावेज़ों के लिए गौण साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

21. वादी का ऐसा कोई मामला नहीं है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह दोनों दस्तावेज़ों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने में असमर्थ है और स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है। जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि मूल दस्तावेज नष्ट हो गए हैं, गुम हो गए हैं या जिन दस्तावेज़ों का प्रयोग किया जाना है, वे किसी पक्ष द्वारा जानबूझकर रोके जा रहे हैं, तब तक ऐसे दस्तावेजों का गौण साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

22. जब तक यह तथ्य अभिलेख पर स्थापित नहीं हो जाता कि मूल दस्तावेज़ उचित कारण के साथ प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, तब तक न्यायालय के लिए वादी को गौण साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना वैध नहीं है। अतः ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं हैं।

23. ऐसी परिस्थितियों में, वादी निरुपाय नहीं है; वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 13 नियम 9 के अंतर्गत उपलब्ध उपचार प्राप्त कर सकता है। वह इन दोनों मूल दस्तावेज़ों को (यदि उपयुक्त समझे) प्राप्त कर सकता है— अर्थात् मूल पारिवारिक समझौता दिनांक 01.01.1998, वाद संख्या 527/2002 शीर्षक अनुज कुमार बनाम अर्जन कुमार के अभिलेख से सिविल न्यायाधीश (जेडी) मथुरा की अदालत से तथा मूल वसीयतनामा दिनांक 22.06.1997, वाद संख्या 704/2009 शीर्षक ठाकुर श्री गोविंद देव

जी बनाम अनुज कुमार के अभिलेख से तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (सीडी) मथुरा की अदालत से—इन दोनों दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ उपरोक्त संबंधित अदालतों के अभिलेखों में रखने के बाद।

24. स्वीकृत दस्तावेज़ों की वापसी का प्रावधान आदेश 13 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है और उसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है—

> "**ऊ.13 आर.9 – स्वीकृत दस्तावेज़ों की वापसी**.— (1) कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वाद का पक्षकार हो या न हो, यदि वह वाद में उसके द्वारा प्रस्तुत तथा अभिलेख में रखे गए किसी भी दस्तावेज़ को वापस प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो जब तक कि उसे नियम 8 के अंतर्गत जब्त न किया गया हो, वह उसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा, —
>
> (क) जहाँ वाद ऐसा हो जिसमें अपील अनुमत नहीं है, जब वाद का निपटारा हो चुका हो; और
>
> (ख) जहाँ वाद ऐसा हो जिसमें अपील अनुमत है, और न्यायालय संतुष्ट हो कि अपील की अवधि समाप्त हो चुकी है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, या यदि अपील प्रस्तुत की गई थी, तो अपील का निपटारा हो चुका है:
>
> यह शर्त रहते हुए कि यदि कोई व्यक्ति जिन शर्तों के अनुसार इस नियम के अंतर्गत दस्तावेज़ वापस किया जाना है, उससे पूर्व वापसी चाहता है, तो —
>
> (क) वह उपयुक्त अधिकारी को मूल के स्थान पर रखने के लिए प्रस्तुत कर दे, —
>
> (1) वाद के पक्षकार के मामले में, दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति, और

(2) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, ऐसी सामान्य प्रति, जिसकी जाँच, तुलना और प्रमाणन उस प्रकार की गई हो, जैसा आदेश VII के नियम 17 की उपनियम (2) में दर्शाया गया है, और

(ग) आवश्यक होने पर, मूल प्रस्तुत करने का वचन देता है;
यह भी शर्त है कि कोई भी दस्तावेज़ जिसे डिक्री के बल से पूरी तरह निरर्थक या अनुपयोगी करार दिया गया है, वापस नहीं किया जाएगा।

(2) साक्ष्य में स्वीकृत दस्तावेज़ की वापसी पर, उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रसीद प्रदान करनी होगी।"

25. उपरोक्त प्रावधान के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति किसी दस्तावेज़ को न्यायालय में प्रस्तुत करता है, वह निम्नलिखित परिस्थितियों में उसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी होता है:

ए. उपनियम 1(क) उस स्थिति से संबंधित है जहाँ वाद का निपटारा हो गया है, जिसके विरुद्ध कोई अपील उपलब्ध नहीं है।

बी. उपनियम 1(ख) उस स्थिति पर विचार करता है जहाँ अपील अनुमत है, यदि निर्धारित समय में अपील दायर नहीं की गई है या अपील दायर की गई है और उसका निपटारा हो गया है।

सी. उपनियम 1 की प्रोविज़ो (परिशिष्ट) उन मामलों से संबंधित है, जो उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में नहीं आते, और इसमें यह प्रदान किया गया है कि दस्तावेज़ को उस समय से पूर्व भी वापस किया जा सकता है, जब पक्ष दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करता है, जिसे पहले से चिह्नित किया जा चुका है, और आवश्यकता होने पर मूल प्रस्तुत करने का वचन देता है।

26. यदि उपरोक्त प्रोविजन (आदेश 13 नियम 9 सी.पी.सी.)के तहत किसी पक्ष द्वारा आवेदन किया जाता है, तो यदि आवेदन विधिसम्मत हो और आवेदक प्रमाणित प्रति प्रतिस्थापित करने और आवश्यकता होने पर मूल प्रस्तुत करने की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है, तो दस्तावेज़ अवश्य लौटाए जाते हैं।दस्तावेज़ की प्रति और यदि आवश्यक हो तो मूल प्रति प्रस्तुत करने का वचन।

27. वादी उपयुक्त आवेदन आदेश 13 नियम 9 सीपीसी के तहत मथुरा की सिविल अदालतों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जहाँ ये दोनों मूल दस्तावेज दो भिन्न वादों के अभिलेख में (उसी पक्षकारों के बीच) पड़े हैं, और इन दोनों वादों के अभिलेख में इन दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ रखकर वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता (यदि उचित समझा जाए) प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष :-

28. उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, यह न्यायालय यह सुविचारित मत व्यक्त करता है कि अधीन न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2019 तथा 10.01.2024 को पारित विवादित आदेश गंभीर अविधिकता एवं विधिसम्मत त्रुटि से ग्रस्त हैं, और टिकाऊ नहीं हैं, अतः इन्हें निरस्त किया जाता है। वर्तमान रिट याचिका तद्नुसार स्वीकार की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हैं) निस्तारित माने जाते हैं।

29. यह कहना अनावश्यक है कि केवल साक्ष्य में स्वीकार करना एवं वसीयतनामा व पारिवारिक समझौते पर प्रदर्श अंकित करना अपने आप में इन दस्तावेज़ों का प्रमाण नहीं है, जब तक कि उन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित न कर दिया जाए।

30. मामले का समापन करते समय, पक्षकारों के बीच संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु, अधीनस्थ न्यायालय को अपेक्षा है कि वह वादी को उचित समय प्रदान करे, ताकि वह पक्षकारों के बीच लंबित वादों के अभिलेख से, तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (सी.डी.), मथुरा तथा सिविल न्यायाधीश (जे.डी.), मथुरा की अदालतों के समक्ष, उपयुक्त आवेदन आदेश 13 नियम 9 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर मूल वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता प्राप्त कर सके, यदि उपयुक्त समझे।

31. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय लागत के संबंध में कोई आदेश पारित करने के प्रति इच्छुक नहीं है।

(अनूप कुमार ढंड), जे

दीक्षा मिश्रा, जूनियर पीए

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra

Advocate